# अधिनियम

## राजभाषा अधिनियम, 1963

संविधान में वर्णित राजभाषा संबंधी उपबंधों तथा राजभाषा आयोग एवं संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु संसद में राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ जिसका संशोधन 1967 में हुआ। इसलिए इसे राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जाता है। केंद्र सरकार तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों एवं नियमों के सभी कार्मिकों को इसी अधिनियम के अनुसार राजभाषा का प्रयोग एवं प्रचार- प्रसार का काम करना है।

इस अधिनियम में कुल नौ धाराएं हैं तथा यह 26 जनवरी, 1965 से लागू है। इस अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी 1965 से लागू है। इस अधिनियम के अनुसार 26 जनवरी 1965 को तथा उससे आगे भी हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ववत जारी रहेगा। केंद्र सरकार के कार्यालय में पदस्थ व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी में कार्यालयी कार्य करने में दक्ष होना चाहिए। केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, निगमों, विभागों, उपक्रमों आदि के कर्मचारी जब तक हिंदी भाषा में प्रशिक्षित नही हो जाते, तब तक केलिए अंग्रेजी का प्रयोग मान्य है। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। देश में राजभाषा की प्रगति का आकलन करने केलिए अधिनियम के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का गठन करने का भी प्रावधान है।

# राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले दस्तावेज़

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएँगे:-

- संकल्प
- सामान्य आदेश
- नियम
- अधिसूचनाएँ
- प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन
- प्रेस विज्ञप्तियाँ
- संसद के किसी सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और सरकारी कागजात
- संविदा
- करार
- अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)
- अनुज्ञा-पत्र (परमिट)
- निविदा सूचनाएँ
- निविदा फार्म

**नोट:**

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अनुसार ***"यह सुनिश्चित करना ऐसे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों दायित्व होगा कि ऐसे दस्तावेज़ हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाएँ, निष्पादित अथवा जारी किए जाएँ।"***